बजट 2024: बिहार के राजमार्गों के लिये 26 हजार करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण** ने बिहार में राजमार्ग विकास में **26,000 करोड़ रुपए** के निवेश की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- **बिहार में राजमार्ग विकास:** सरकार का लक्ष्य विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करके बिहार में **सड़क बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना है,** जिनमें शामिल हैं:
  - पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे
  - बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे
  - बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला
  - बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लेन पुल
- **विद्युत परियोजनाएँ:** बजट में बिहार के पीरपैंती में **21,400 करोड़ रुपए** की लागत से **2400 मेगावाट** का नया **विद्युत संयंत्र** स्थापित करना भी शामिल है।
- **कंपनियों पर प्रभाव:** विशेषज्ञों के अनुसार, इस निवेश से राजमार्ग निर्माण कंपनियों को मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सीमेंट की मांग बढ़ेगी, जिससे सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।

बजट और संवैधानिक प्रावधान

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112** के अनुसार, एक वर्ष के **केंद्रीय बजट** को **वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement-AFS) कहा जाता है।**
- यह एक वित्तीय वर्ष (जो चालू वर्ष के 01 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है) में **सरकार की अनुमानित प्राप्तियों** तथा **व्यय का विवरण** है। इसके अलावा, बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
  - राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
  - व्यय का अनुमान।
  - अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी घाटे अथवा अधिशेष के कारण।
  - आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति अर्थात् **कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, व्यय कार्यक्रम** तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।